न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और हरिंदर सिंह सिद्धू के समक्ष

नवल किशोर उर्फ काला-अपीलकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी

2005 का सीआरए-डी नंबर 432-डीबी

17 नवंबर 2018

ए) भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302-हत्या-साक्ष्य अधिनियम, 1872-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला-अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त और मृतक के बीच शत्रुता थी-हालांकि, शत्रुता साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं-आयोजित, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में उद्देश्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है-शत्रुता के अलावा आरोपी को कोई उद्देश्य नहीं दिया गया जो साबित नहीं किया जा सका-अपील की अनुमति दी गई।

माना कि इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तिलक राज पीडब्लू-3 को अंतिम देखी गई परिस्थिति को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार, 15.06.2004 को लगभग 7.30 p.m. पर वह साइकिल पर सुनारिया चौक से भिवानी चौक वृत्ताकार मार्ग से जा रहे थे। वह आरोपी से मिला। उन्होंने मौके पर उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा। अभियुक्तों ने बताया कि वे सुअर की तलाश कर रहे थे। वह रात भर अपने मामा के घर पर रहा। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह धारा 161 Cr.P.C के तहत दर्ज उनके बयान में नहीं आया है। कि वह रात भर अपने मामा के घर में रहा।

(पैरा 24)

बी) भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302-साक्ष्य अधिनियम, 1872-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति-अभियोजन का मामला कि अपीलार्थियों ने पीडब्लू-2 सतपाल के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की-आयोजित, उनके पास कोई अधिकार नहीं था-अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति कमजोर प्रकार का सबूत और केवल पुष्टि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है-जब गवाहों को आरोपी द्वारा घटना के बारे में सूचित किया गया तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित नहीं किया, बल्कि मृतक के शव की खोज की-गवाहों का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक-अभियोजन उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा-दोषसिद्धि का आदेश और सजा को दरकिनार कर दिया गया।

ऐसा माना गया कि पीडब्लू-1 शिव कुमार के अनुसार, शेखू @अभिषेक 15.06.2004 को 6 p.m. पर अपने घर आए थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थियों और मोंटी के बीच दुश्मनी थी। हालांकि यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि मोंटी और अपीलार्थियों के बीच दुश्मनी थी। यदि मोंटी और अपीलार्थियों के बीच कोई शत्रुता या शत्रुता थी, तो उसके लिए शेखू के साथ जाने का कोई अवसर नहीं था और यहां तक कि पिता ने भी मोंटी को अपने साथ जाने की अनुमति नहीं दी होगी। यह अजीब है कि अपीलार्थियों ने घटना के बारे में पीडब्लू-1 शिव कुमार के बजाय पीडब्लू-2 सतपाल को सूचित किया है।

(पैरा 25)

उन्होंने आगे कहा कि यह मानते हुए भी कि पीडब्लू-2 सतपाल को घटना के बारे में सूचित किया गया था, उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही एम्बुलेंस लेने की कोशिश की, इसके बजाय वे मोंटी के शव की तलाश करने गए। यह सबूत में आया है कि पुलिस स्टेशन पीडब्लू-1 के आवास और चीनी मिल के बीच था। उन्होंने सी. आई. ए. के कर्मचारियों को भी सूचित नहीं किया था। पीडब्लू-1 शिव कुमार और पीडब्लू-2 सतपाल का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक है। पीडब्लू-3 तिलक राज का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस को यह नहीं बताया है कि वह अपने मामा के साथ रात भर रहा था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थियों ने पीडब्लू-2 सतपाल के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी की है। वह कोई अधिकार रखने वाला व्यक्ति नहीं है। यह तय कानून है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है और इसे, अधिक से अधिक, पुष्टि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। वर्तमान मामले में श्रृंखला पूरी नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तत्काल मामले में यह दोहराया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, सिवाय इसके कि पक्षों के बीच कुछ दुश्मनी थी। हालांकि इसका विवरण नहीं दिया गया है। यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की थी, वह परिवार के सदस्यों को क्यों सूचित करेगा।

(पैरा 26)

एन.सी. किनरा, सीआरए-डी-432-डीबी-2005 में वकील; संजय वर्मा, सीआरए-डी-799-डीबी-2005 में वकील; अपीलकर्ता के लिए.

विशाल गर्ग, अतिरिक्त ए.जी. हरयाणा।

न्यायमूर्ति राजीव शर्मा

(1) चूंकि विधि और तथ्यों के सामान्य प्रश्न उपर्युक्त अपीलों में शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया जाता है और एक सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

(2) ये दोनों अपीलें 2005 के सत्र मामले संख्या. 4 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा दिए गए दिनांक 30.04.2005 के निर्णय के विरुद्ध आरंभ की गई हैं।

(3) अपीलार्थियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (संक्षेप में 'आईपीसी') के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। दिनांक 30.04.2005 के निर्णय और आदेश के अनुसार, अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 5000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई और जुर्माने का भुगतान न करने पर उन्हें आईपीसी की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के तहत अपराध के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास से गुजरने का आदेश दिया गया।

(4) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में यह है कि 16.06.2004 को लगभग 11.15 a.m. शिकायतकर्ता शिव कुमार पीडब्लू-1 पुलिस पोस्ट, न्यू ग्रेन मार्केट, रोहतक में आया था। उन्होंने अपना Ex.P1 बयान इस आशय से दर्ज किया कि वह ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, रोहतक में स्वीपर के रूप में काम कर रहे थे। 15.06.2004 को, लगभग 6 p.m. वह और उसका बेटा रोहन @मोंटी (मृतक के बाद से) अपने घर में मौजूद थे। अभियुक्तों में से एक अभिषेक उर्फ शेखू उसके घर आया और मोंटी को अपने साथ ले गया।

लगभग 9 या 9.30 p.m. पर उसके भाई सतपाल PW-2 को उसके घर पर आरोपी से एक टेलीफोनिक संदेश मिला कि मोंटी को चाकू से घायल करने के बाद उसे चीनी मिल, रोहतक के गंदे नाले के पास फेंक दिया गया और वे उसकी देखभाल कर सकते हैं। पीडब्लू-1 शिव कुमार अपने भाई पीडब्लू-2 सतपाल और भाई के बेटे हरमिंदर सिंह के साथ चीनी मिल की ओर गए और मोंटी की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। 16.06.2004 की सुबह वे फिर मोंटी की तलाश में चले गए। उन्होंने उसका नग्न शव रोहतक के चीनी मिल के गंदे नाले के किनारे पर पड़ा पाया, जिसमें चाकू के कई घाव थे। इसके बाद उन्होंने अपने भाई सतपाल और भाई के बेटे हरमिंदर सिंह को शव की रखवाली के लिए नियुक्त किया। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। एफआईआर दर्ज की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मामले की जांच की गई और सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अदालत में चालान पेश किया गया।

(5) अभियोजन पक्ष ने गवाहों की संख्या की जांच की। अपीलार्थियों का बयान भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया था। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार किया है। अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। इसलिए यह अपील की गई है।

(6) अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा है।

(7) राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दिनांक 30.04.2005 के निर्णय का समर्थन किया है।

(8) हमने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय को देखा है और बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है।

(9) पीडब्लू-1 शिव कुमार ने गवाही दी है कि वह ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन, रोहतक में सफाईकर्मी के रूप में काम कर रहे थे। 15.06.2004 को लगभग 6 p.m. पर, वह और उनका बेटा मोंटी @रोहन उनके घर पर मौजूद थे। शेखू उर्फ परदीप का बेटा अभिषेक उसके घर आया और अपने बेटे को अपने साथ ले गया। 9.30 p.m. पर उनके भाई सतपाल उनके घर आए और उन्हें बताया कि उन्हें टेलीफोन पर संदेश मिला है कि रोहन शुगर मिल, रोहतक के गंडा नाला के पास घायल हालत में पड़ा है। इसके बाद वे अपने भाई और भाई के बेटे के साथ चीनी मिल की ओर चले गए। उन्होंने अपने बेटे का पता लगाने की कोशिश की। 16.06.2004 की सुबह ही उन्हें चीनी मिल के पास रोहन का शव मिला। उन्होंने सतपाल और हरमिंदर को शव की रखवाली के लिए नियुक्त किया। वह थाने गया और एफआईआर दर्ज कराई।

(10) अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने अपदस्थ किया कि उसका कोई टेलीफोन कनेक्शन नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने 15/16.06.2004 की रात को पुलिस को सूचित नहीं किया है। उनके भाई को 15.06.2004 को सूचना मिलने के बाद भी उन्होंने 16.06.2004 को सुबह तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

(11) पीडब्लू-2 सतपाल एक अन्य भौतिक गवाह है। उन्होंने गवाही दी कि 15.06.2004 को लगभग 9/9.30 p.m. पर उन्हें अभियुक्तों से टेलीफोन कॉल आया कि उन्होंने चाकू मारकर मोंटी को मार डाला है। शव गंडा नाला, चीनी मिल, रोहतक के पास पड़ा था। इसके बाद फोन कट गया। वह तुरंत अपने भाई के घर जाकर उसे सूचित किया। उसके भाई ने उसे बताया कि मोंटी लगभग 6 p.m पर शेखू के साथ गया था।

इसके बाद वह अपने भाई और भतीजे हरमिंदर के साथ मोंटी की तलाश में गए। उन्हें मोंटी का शव नहीं मिला। हालांकि 15.06.2004 की सुबह लगभग 5.30 a.m. वे मोंटी के शव का पता लगाने के लिए फिर से रवाना हुए। उन्हें उनके भतीजे मोंटी का नग्न शव खून से लथपथ मिला। उनके अनुसार 16.06.2004 को लगभग 2/2.30 p.m. पर अभियुक्त उनके पास आया था। उनके चेहरे फटे हुए थे। उन्होंने उसके सामने एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की कि उन्होंने मोंटी की हत्या कर दी है। उसने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि पुरानी सब्जी मंडी पुलिस चौकी उनके मोहल्ला के करीब है। यह डेढ़ किमी की दूरी पर स्थित था। उनके घर से। पुलिस स्टेशन सिटी रोहतक रास्ते में आ जाता है जब वे शुगर मिल्स, रोहतक जाते हैं। उन्होंने स्वेच्छा से कहा कि वे माता दरवाजा के माध्यम से चीनी मिल गए थे। उन्होंने सी. आई. ए. कर्मचारियों को भी सूचित नहीं किया है।

(12) पीडब्लू-3 तिलक राज ने गवाही दी कि 15.06.2004 को लगभग 7.30 p.m. पर वह साइकिल पर सुनारिया चौक से भिवानी चौक जा रहे थे। वे गंडा नाला के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ बंटी, मोंटी, शेखू, मंदीप और लाला को देखा। उन्होंने उनसे उनकी उपस्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि वे सुअर की तलाश कर रहे हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने स्वीकार किया है कि वह 15.06.2004 को 5 p.m. पर अपने कार्यालय से निकले थे। अपनी जिरह में उसने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि वह रात भर अपने मामा के घर पर रहा था।

(13) पीडब्लू-4, पीडब्लू-5, पीडब्लू-6 औपचारिक गवाह हैं।

(14) पीडब्लू-7 सुरिंदर कुमार ने अपदस्थ कर दिया कि उन्हें चीनी मिल, गंडा नाला, रोहतक जाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। वह वहाँ पहुँच गया। उन्होंने विभिन्न कोणों से शव की तीन तस्वीरें लीं।

(15) पीडब्लू-8 पवन कुमार ने कहा कि उन्हें पटवारियों के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने उस स्थान का अक्स शाजरा तैयार किया।

(16) पीडब्लू-9 डॉ. दीपा जाखड़ हैं। उन्होंने पोस्टमॉर्टम कराया था। उसने निम्नलिखित चोटों को देखा थाः

"1. दाहिने 7 वें अंतर तटीय स्थान पर छाती के सामने घाव, मध्य रेखा से 2 इंच, आकार 2x1 सेंटीमीटर, थक्केदार खून मौजूद था। मांसपेशियों में गहराई।

2. बाएं 7 वें अंतर तटीय स्थान में छाती के सामने 2x1 सेंटीमीटर आकार का घाव, मध्य रेखा से 2 इंच, थक्केदार खून मौजूद था। मांसपेशियों में गहराई।

3. बाएं 9 वें अंतर तटीय स्थान में छाती के सामने 2 x 1 सेंटीमीटर आकार का घाव, मध्य रेखा से 2 इंच, थक्का हुआ रक्त मौजूद था, पेट की गुहा में गहराई।

4. बाईं ओर पूर्ववर्ती पेट की दीवार पर 2x1 सेंटीमीटर का घाव, चोट नंबर. 3 से 7 सेंटीमीटर नीचे, खून का थक्का मौजूद था।

2x1 सेमी के 5.Incised घाव। अग्रवर्ती पेट की दीवार पर 5 से. मी., नाभि के ऊपर आधा इंच पार्श्व से मध्य रेखा से बाईं ओर। पेट की गुहा में गहराई।

6. अग्रवर्ती पेट की दीवार पर 2x1 सेंटीमीटर आकार का घाव दाहिनी ओर नाभि से 4 सेंटीमीटर ऊपर, थक्का हुआ रक्त मौजूद था। पेट की गुहा में फैलना।

5. पसलियों के पिंजरे के ठीक नीचे दाहिनी ओर पूर्ववर्ती पेट की दीवार पर 2 x 1 सेंटीमीटर का घाव, नाभि से 11 सेंटीमीटर, थक्का हुआ रक्त मौजूद था, जो पेट की गुहा तक फैला हुआ था।

6. गले में 2 x 1 सेंटीमीटर आकार का घाव थायराइड कारतूस के स्तर पर पूर्वकाल में, थक्केदार रक्त के साथ।

7. गर्दन में 2x1 सेंटीमीटर का घाव, खून के थक्के के साथ चोट संख्या 8 से एक इंच ऊपर। "

(17) उनके अनुसार, मृत्यु का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके द्वारा वर्णित चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था। वही प्रकृति में पूर्व मृत्यु थे और प्रकृति के सामान्य पाठ्यक्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थे।

(18) पीडब्लू-10 राम दयाल ने 16.06.2004 को शव की पहचान की है।

(19) पीडब्लू-11 एएसआई बलवान सिंह औपचारिक गवाह है।

(20) पीडब्लू-12 अनिल कुमार ने अपराध के हथियार की बरामदगी के बारे में बयान दिया है।

(21) पीडब्लू-13 इंस्पेक्टर/एसएचओ इंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने सतपाल का बयान दर्ज किया है। उन्होंने आरोपी से पूछताछ की। अभियुक्त ने चाकू छिपाने के बारे में खुलासा किया था।

(22) पीडब्लू-14 एएसआई रामफल ने शव का निरीक्षण किया था और स्थल योजना तैयार की थी। उन्होंने जाँच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने खून से सना मिट्टी और मृतक के कपड़े एकत्र किए।

(23) ऊपर चर्चा किए गए बयानों से जो पता चलता है वह यह है कि शेखू @अभिषेक पीडब्लू-1 शिव कुमार के घर आया था। वह मोंटी को अपने साथ ले गया था। इसके बाद पीडब्लू-1 शिव कुमार (पीडब्लू-2 सतपाल) के भाई को एक टेलीफोनिक संदेश मिला कि मोंटी की हत्या कर दी गई है और उसका शव गंडा नाला, चीनी मिल के पास पड़ा है। शिकायतकर्ता, यानी हरमिंदर के साथ पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 मौके पर गए। वे शव का पता नहीं लगा सके। 16.06.2004 की सुबह शव का पता चला था। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

(24) इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। तिलक राज पीडब्लू-3 को अंतिम देखी गई परिस्थिति को साबित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उनके अनुसार, 15.06.2004 को लगभग 7.30 p.m. पर वह साइकिल पर सुनारिया चौक से भिवानी चौक वृत्ताकार मार्ग से जा रहे थे। वह आरोपी से मिला। उन्होंने मौके पर उनकी मौजूदगी के बारे में पूछा। अभियुक्तों ने बताया कि वे सुअर की तलाश कर रहे थे। वह रात भर अपने मामा के घर पर रहा। हालांकि, उन्होंने कहा कि धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज उनके बयान में यह नहीं आया है कि वह अपने मामा के घर में रात बिताए थे।

(25) पीडब्लू-1 शिव कुमार के अनुसार, शेखू @अभिषेक 15.06.2004 को 6 p.m. पर अपने घर आया था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थियों और मोंटी के बीच दुश्मनी थी। हालांकि यह साबित

करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है कि मोंटी और अपीलार्थियों के बीच दुश्मनी थी। यदि मोंटी और अपीलार्थियों के बीच कोई शत्रुता या शत्रुता थी, तो उसके लिए शेखू के साथ जाने का कोई अवसर नहीं था और यहां तक कि पिता ने भी मोंटी को अपने साथ जाने की अनुमति नहीं दी होगी। यह अजीब है कि अपीलार्थियों ने घटना के बारे में पीडब्लू-1 शिव कुमार के बजाय पीडब्लू-2 सतपाल को सूचित किया है।

(26) यह मानते हुए भी कि पीडब्लू-2 सतपाल को घटना के बारे में सूचित किया गया था, उन्हें तुरंत पुलिस को सूचित करना चाहिए था या एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी चाहिए थी। उन्होंने न तो पुलिस को सूचित किया और न ही एम्बुलेंस लेने की कोशिश की, इसके बजाय वे मोंटी के शव की तलाश करने गए। यह सबूत में आया है कि पुलिस स्टेशन पीडब्लू-1 के आवास और चीनी मिल के बीच था। उन्होंने सी. आई. ए. के कर्मचारियों को भी सूचित नहीं किया था। पीडब्लू-1 शिव कुमार और पीडब्लू-2 सतपाल का आचरण असामान्य और अप्राकृतिक है। पीडब्लू-3 तिलक राज का बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि उसने धारा 161 आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पुलिस को यह नहीं बताया है कि वह अपने मामा के साथ रात भर रहा था। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थियों ने पीडब्लू-2 सतपाल के समक्ष अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति भी की है। वह कोई अधिकार रखने वाला व्यक्ति नहीं है। यह तय कानून है कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का सबूत है और इसे, अधिक से अधिक, पुष्टि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है। वर्तमान मामले में श्रृंखला पूरी नहीं है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले में उद्देश्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तत्काल मामले में यह दोहराया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों को किसी विशेष उद्देश्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है, सिवाय इसके कि पक्षों के बीच कुछ दुश्मनी थी। हालांकि इसका विवरण नहीं दिया गया है। यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है कि जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की थी, वह परिवार के सदस्यों को क्यों सूचित करेगा।

(27) शिवशरणप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य,(2013) 5 एससीसी 705 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके प्रभुत्त्वों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय मानव आचरण की अप्रत्याशितता और मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता की कमी को ध्यान में रखते हुए भी अत्यधिक अप्राकृतिक आचरण से अनजान नहीं हो सकता है। न्यायालय को यह निर्धारित करना चाहिए कि क्या मामले की परिस्थितियों में, संबंधित गवाहों का व्यवहार परिवर्तन के लिए स्वीकार्य रूप से स्वाभाविक है और यदि व्यवहार बिल्कुल अप्राकृतिक है, तो गवाह की गवाही विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के योग्य नहीं हो सकती है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैंः

"19. गोपाल सिंह और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, यह न्यायालय उस उच्च न्यायालय से सहमत नहीं था जिसने एक कथित चश्मदीद गवाह के बयान को स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसका आचरण अप्राकृतिक था और ऐसा मानते हुए, उसने इस प्रकार टिप्पणी कीः -

हम यह भी पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पी. डब्ल्यू. 5 के बयान को स्वीकार कर लिया है, इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि उसका व्यवहार अप्राकृतिक था क्योंकि उसने दावा किया था कि वह गांव में आया था, लेकिन अभी भी घटना के बारे में जानकारी अपने माता-पिता और वहां मौजूद अन्य लोगों को नहीं दी थी और संदिग्ध और अस्वीकार्य याचिका पर कुछ घंटों के लिए गायब होने का फैसला किया था, जिससे उसे अपनी सुरक्षा का डर था।

XXX XXX XXX

22. इस प्रकार, गवाहों का व्यवहार या उनकी प्रतिक्रियाएं स्थिति से स्थिति और व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होंगी। गवाहों की प्रतिक्रिया में एकरूपता की अपेक्षा अवास्तविक होगी, लेकिन न्यायालय इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकता है कि मानव आचरण की अप्रत्याशितता और मानव प्रतिक्रिया में एकरूपता की कमी को ध्यान में रखते हुए भी, चाहे मामले की परिस्थितियों में, व्यवहार स्वीकार्य रूप से स्वाभाविक है जो भिन्नताओं की अनुमति देता है। यदि व्यवहार बिल्कुल अप्राकृतिक है, तो गवाह की गवाही विश्वास और स्वीकृति के योग्य नहीं हो सकती है। "

(28) लाहू कमलाकर पाटिल और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2013) 6 एससीसी 417 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यद्यपि मानवीय प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि गवाह का आचरण इतना अप्राकृतिक है और स्वीकार्य मानवीय व्यवहार के अनुरूप नहीं है, तो उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और इसके खारिज होने की संभावना है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं:

"22. हमला इस आधार पर किया गया है कि उक्त गवाह घटनास्थल से भाग गया था; कि उसने घटना के बारे में पुलिस को सूचित नहीं किया था, बल्कि इसके विपरीत, अगले दिन की सुबह तक एक नहर के पास पाइप के पीछे छिप गया था; कि हालांकि उसने चश्मदीद गवाह होने का दावा किया था, फिर भी वह पुलिस के आने पर मौके पर नहीं आया और तीन घंटे से अधिक समय तक वहां रहा; कि सामान्य मानवीय व्यवहार के विपरीत वह अपनी पत्नी को घटना के बारे में सूचित किए बिना पुणे गया और एक दिन रहा; कि हालांकि पुलिस स्टेशन मुश्किल से एक फरलोंग दूर था, फिर भी उसने पुलिस से संपर्क नहीं किया; कि उसने घर पहुंचने के बावजूद टेलीफोन पर पुलिस को सूचित करने का भी विकल्प नहीं चुना; कि जब वह पुणे से आया और अपनी पत्नी से पता चला कि पुलिस 21.2.1988 को आई थी, तो वह पुलिस स्टेशन गया और इस तरह के आचरण की पृष्ठभूमि में, उसे नजरअंदाज करने और विश्वास में रखने के लिए प्रेरित करने के योग्य नहीं है।

XXX XXX XXX

26. उपर्युक्त घोषणाओं से, यह स्पष्ट है कि कुछ अपराधों के गवाह घटनास्थल से भाग सकते हैं और डर के कारण उस स्थान को भी छोड़ सकते हैं और यदि उनकी जांच में कोई देरी होती है, तो गवाही को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, एक अदालत को यह ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग गवाह अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ गवाहों को झटका लगता है, कुछ हैरान हो जाते हैं, कुछ रोने लगते हैं और कुछ घटनास्थल से भाग जाते हैं और फिर भी साहस और दृढ़ विश्वास रखने वाले कुछ लोग या तो प्राथमिकी दर्ज करने या तुरंत खुद से पूछताछ करने के लिए आगे आते हैं। इस प्रकार, यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। मानवीय प्रतिक्रिया में एकरूपता नहीं हो सकती। जबकि उक्त सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यदि गवाह का आचरण इतना अप्राकृतिक है और परिवर्तनों की अनुमति देने वाले स्वीकार्य मानव व्यवहार के अनुसार नहीं है, तो उसकी गवाही संदिग्ध हो जाती है और इसकी संभावना है।

27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पीडब्लू-2 के साक्ष्य की जांच करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि उसके बयान से स्पष्ट है, हमले को देखकर वह डर गया, होटल से भाग गया और सुबह तक पाइप के पीछे छिप गया। वह घर गया, कपड़े बदले और पुणे भाग गया। उसने अपने परिवार के सदस्यों को घटना के बारे में नहीं बताया। वह पुणे के लिए रवाना हो गए और इसका कारण भी उनके परिवार के सदस्यों को

नहीं बताया गया। उन्होंने अपने आवास से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश नहीं की जो वह कर सकते थे। पुणे पहुँचने के बाद, उन्होंने अपनी साली के घर में हुई घटना का उल्लेख नहीं किया। घटना के तीसरे दिन पुणे से लौटने के बाद उसकी पत्नी ने बताया कि पुलिस आ गई है और उसके साथ आए भाऊ की मौत हो गई है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान में उसने यह नहीं कहा था कि वह डर से खुद को छिपा रहा था या वह पुलिस से डर गया था। उक्त बयान में, इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया गया था कि उन्हें उनकी पत्नी ने सूचित किया था कि भाऊ मर चुके हैं। उसकी गवाही से एक बात स्पष्ट है कि घटना को देखकर वह डर गया और होटल से भाग गया। वह डर गया और रात भर पाइप के पीछे छिप गया और अगली सुबह घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन अपनी पत्नी या परिवार के किसी सदस्य को सूचित नहीं करने और पुणे के लिए रवाना होने और वहां किसी को नहीं बताने का उसका आचरण सामान्य मानवीय व्यवहार की अवहेलना करता है। उसने कहीं यह भी नहीं बताया कि वह इतना डर गया था कि घर पहुंचने के बाद भी वह पुलिस स्टेशन नहीं गया जो उसके घर से शायद ही कोई दूरी पर था। उसकी गवाही में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जब वह अपने घर पहुंचा तो वह किसी भी तरह के डर या सदमे में था। यह भी आश्चर्य की बात है कि उसने अपने परिवार के सदस्यों को नहीं बताया था और वह बिना कारण बताए पुणे चला गया और जब वह पुणे से आया और उसकी पत्नी द्वारा सूचित किया गया कि उसके साथी भाऊ की मृत्यु हो गई है, तो वह पुलिस स्टेशन गया। हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हैं कि कुछ परिस्थितियों में कुछ गवाह डर सकते हैं और अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं और इसके कारण, वे खुद को पुलिस के सामने देर से उपलब्ध करा सकते हैं और उनकी पूछताछ में देरी हो सकती है। लेकिन मामले में, रिकॉर्ड में लाए गए साक्ष्य और विशेष रूप से पुणे भागने के लिए किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण का उल्लेख न करने के संबंध में, उक्त कारक उनके कथन की सत्यता को संदिग्ध बनाते हैं। उसके साक्ष्य को अपीलार्थियों के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए इतना विश्वसनीय और निर्विवाद नहीं माना जा सकता है। विद्वत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने संबंध जोड़ने और भय, व्यवहार पैटर्न, मृतक को लगी चोटों का मिलान पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से करने जैसे सिद्धांतों को जोड़ने का प्रयास किया है और अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है। अपीलार्थी को अपराध से जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के ठोस साक्ष्य के अभाव में, हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि दोषसिद्धि को बनाए रखना उचित नहीं होगा। "

(29) दंडू जग्गाराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य,(2011) 14 एससीसी 674 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में, उद्देश्य अक्सर एक बहुत मजबूत परिस्थिति होती है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना होता है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैंः -

"9. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू-1 और मृतक के बीच विवाह वर्ष 1996 में किया गया था और यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि मृतक को चोट पहुंचाने का पहले प्रयास किया गया था और इस आशय की एक रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई थी। हालाँकि, इस आशय का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। इसलिए, हमें यह कुछ अजीब लगता है कि मृतक के परिवार ने लगभग छह साल के लिए शादी को स्वीकार किया था, विशेष रूप से, क्योंकि दंपति के एक बच्चे का भी जन्म हुआ था। मामले के इस दृष्टिकोण से, मकसद स्पष्ट रूप से संदिग्ध है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य से संबंधित मामले में, अभिप्रेरणा अक्सर एक बहुत मजबूत परिस्थिति होती है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना होता है और यही परिस्थिति होती है जो अक्सर अभियोजन पक्ष की कहानी का आधार बनती है। "

(30) पुढा राजा और एक अन्य बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में उद्देश्य बहुत महत्व

और महत्व रखता है और उद्देश्य की अनुपस्थिति अदालत को अपने गार्ड पर रखती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेह, भावना या अनुमान सबूत का स्थान नहीं लेते हैं, साक्ष्य के प्रत्येक टुकड़े की बहुत बारीकी से जांच करने का कारण बनती है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं: -

"16. इसके अलावा, ऐसे मामले में, उद्देश्य बहुत महत्व और महत्व रखता है, क्योंकि उद्देश्य की अनुपस्थिति अदालत को अपने बचाव में रखती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि संदेह, भावना या अनुमान सबूत की जगह नहीं लेते हैं, सबूत के प्रत्येक टुकड़े की बहुत बारीकी से जांच करने का कारण बनती है। हमलावरों के दिमाग में काम करने वाले उद्देश्य के अस्तित्व के बारे में सबूत अक्सर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं पता होते हैं। अपराध के शिकार व्यक्ति को कुछ परिस्थितियों में मकसद का पता भी नहीं चल सकता है। यह केवल अभियुक्त को ही पता चल सकता है और किसी और को नहीं। इसलिए, केवल अपराध का अपराधी ही है, जो जानता है कि किन परिस्थितियों ने उसे एक निश्चित कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया, जिससे अपराध हुआ। "

(31) ऋषि पाल बनाम उत्तराखंड राज्य,(2013) 12 एससीसी 551 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप्स ने यह अभिनिर्धारित किया है कि घटना के चश्मदीद गवाह के आधार पर मामलों में उद्देश्य की प्रमुख भूमिका नहीं है, लेकिन यह उन मामलों में महत्वपूर्ण है जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। उनके अधिपतियों ने आगे यह अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में जिन आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, उनका सार यह है कि न केवल अभियुक्त के खिलाफ परिस्थितियों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि ऐसी परिस्थितियां इतनी पूरी श्रृंखला बनाती हैं, क्योंकि अदालत के लिए कोई विकल्प नहीं बचता है, सिवाय इसके कि यह अभिनिर्धारित किया जाए कि अभियुक्त उन अपराधों का दोषी है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। उनके अधिपत्य निम्नानुसार रहे हैं: -

"14. दूसरा पहलू जिसका हमें सीधे उल्लेख करना चाहिए, वह है अब्दुल माबूद की कथित हत्या करने के लिए अपीलार्थी के लिए किसी भी उद्देश्य की अनुपस्थिति। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि अब्दुल माबूद और अपीलार्थी के बीच कोई शत्रुता थी और न ही ऐसी किसी शत्रुता को साबित करने के लिए कोई सबूत है। राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने केवल इतना ही सुझाव दिया कि अपीलार्थी ने अब्दुल माबूद की हत्या करके उससे छुटकारा पा लिया क्योंकि उसका इरादा उस कार को ले जाने का था जिसे शिकायतकर्ता-डॉ. मोहम्मद ने छीन लिया था। आलम ने उसे दे दिया था। उस तर्क ने हमें प्रभावित नहीं किया है। यदि कथित हत्या के पीछे का उद्देश्य किसी तरह कार को ले जाना था, तो अपीलार्थी के लिए मृतक को मारना आवश्यक नहीं था, क्योंकि अब्दुल माबूद को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाए बिना भी कार को ले जाया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि अब्दुल माबूद कार चला रहा था और उसके नियंत्रण में था ताकि उसे घटनास्थल से हटाए बिना अपीलार्थी के लिए अपनी योजना में सफल होना मुश्किल हो। इसके विपरीत अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को गाड़ी और 15,000/- रुपये की राशि देने के लिए प्रेरित किया था। अपीलार्थी को उस कपटपूर्ण कार्य के लिए उचित रूप से दोषी ठहराया गया है जिसकी हमने पुष्टि की है। ऐसी स्थिति होने के कारण, कार पहले से ही अपीलार्थी के कब्जे और नियंत्रण में थी और उसे बस इतना करना था कि अब्दुल माबूद को उस कार को ले जाने के लिए रास्ते में किसी भी स्थान पर छोड़ देना था, जिसे उसे उस समय करने का पर्याप्त अवसर मिला था जब दोनों अलग-अलग स्थानों पर जाते समय एक साथ थे। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि कथित हत्या का मकसद उतना ही कमजोर है जितना कि यह हमें अतार्किक लगता है। यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि घटना के चश्मदीद गवाहों के खाते के आधार पर मामलों में उद्देश्य की प्रमुख भूमिका नहीं है, लेकिन यह उन मामलों में महत्वपूर्ण है जो पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य

पर निर्भर करते हैं। [देखें सुखराम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 7 एससीसी 502, सुनील क्लिफोर्ड डेनियल (डॉ.) बनाम पंजाब राज्य (2012) 8 स्केल 670, पन्नयार बनाम तमिलनाडु राज्य पुलिस निरीक्षक द्वारा (2009) 9 एससीसी 152]. इसलिए, वर्तमान मामले में मजबूत मकसद का अभाव एक ऐसी चीज है जिसे हल्के से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

XXX XXX XXX

19. यह सच है कि अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर साबित की गई कथात्मक परिस्थितियाँ अपीलार्थी के खिलाफ संदेह को जन्म देती हैं, लेकिन संदेह चाहे कितना भी मजबूत हो, हत्या के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। निचली अदालत ने, हमारी राय में, इस आधार पर अधिक कार्यवाही की है कि अपीलार्थी ने मृतक-अब्दुल माबूद की हत्या की होगी। ऐसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किया कि 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच एक लंबी दूरी है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके पार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से तत्काल मामले में ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। इस विषय पर कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है और इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय के निर्णयों ने कई अवसरों पर उन आवश्यकताओं को निर्धारित किया है जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में पूरा किया जाना चाहिए। उक्त अपेक्षा का सार यह है कि न केवल अभियुक्त के विरुद्ध सिद्ध किए जाने की परिस्थितियों को एक उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि यह भी कि ऐसी परिस्थितियां इतनी पूर्ण श्रृंखला बनाती हैं कि न्यायालय के लिए यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है कि अभियुक्त उन अपराधों का दोषी है जिनके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। वर्तमान मामले में मृतक-अब्दुल माबूद का गायब होना स्पष्टीकरण योग्य नहीं है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमारे समक्ष केवल इस परिकल्पना पर तर्क दिया जाना चाहा गया है कि अपीलार्थी ने उसे किसी नहर के पास इस तरीके से मार डाला जो ज्ञात नहीं है या कि अपीलार्थी ने अपने शरीर का निपटान इस तरह से किया जिसके बारे में अभियोजन पक्ष के पास एक जंगली अनुमान के अलावा कोई सबूत नहीं है कि शव को एक नहर में फेंक दिया गया हो सकता है जिससे वह कभी बरामद नहीं हुआ था। "

(32) अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।

(33) तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है। 30.04.2005 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड और ज़मानत बांड उन्मोचित हो गए हैं।

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

रजत कुमार कनौजिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

फ़रीदाबाद,हरियाणा